उत्तर प्रदेश शासन
पशुधन अनुभाग-1
संख्या-11/2015/2196/37-1-2015-9(17)/2015
लखनऊः दिनांक 26 मई, 2015

कार्यालय-आदेश

एतदद्वारा श्री राज्यपाल संयुक्त निदेशक/मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के पद से अपर निदेशक, ग्रेड-2 के पद पर नवप्रोन्नत निम्नलिखित अधिकारियों को प्रशासनिक आधार पर उनके वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किये जाने के आदेश प्रदान करते हैः-

क्र0	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना/प्रभार का स्थान	गृह जनपद/ ज्ये0क्र0	तैनाती स्थान
1	2	3	4
1	डा0 राजेश बाबू, प्रभारी अ0नि0, ग्रेड-1, मुख्यालय	301 एटा	अपर निदेशक, ग्रेड-2, लखनऊ मण्डल
2	डा0 सत्य प्रकाश यादव, संयुक्त निदेशक/ प्रभारी अपर निदेशक, ग्रेड-2, मुरादाबाद मण्डल	312 फिरोजाबाद	अपर निदेशक, ग्रेड-2, लघु पशु, मुख्यालय

2- स्थानान्तरित अधिकारियों को निदेशित किया जाता है कि वह आदेश निर्गत होने के दिनांक से 01 सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें अन्यथा उनके विरूद्व अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी। सम्बन्धित प्राधिकारी, स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल अवमुक्त कर दे। स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्धारित समय में कार्यमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी और जो अधिकारी स्थानान्तरण आदेशों का पालन न करते हुये, सम्बन्धित कार्मिक को कार्यमुक्त नहीं करेंगें, के विरूद्व भी विभागीय कार्यवाही की जायेंगी।

दया शंकर सिंह
संयुक्त सचिव

संख्या-11/2015/2196(1)/37-1-2015, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निदेशक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2- संयुक्त निदेशक(प्रशासन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- सम्बन्धित अपर निदेशक(ग्रेड-2), पशुपालन विभाग द्वारा निदेशक, पशुपालन।
4- सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा निदेशक, पशुपालन।
5- सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा निदेशक, पशुपालन।
6- सम्बन्धित अधिकारीगण द्वारा निदेशक, पशुपालन ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
दया शंकर सिंह
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in